



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2014/आश्विन 25, 1936

No. 2116]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2014/ASVINA 25, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2664(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित वंश या जाति को (वर्तमान किस्म या कृषक की किस्म नहीं होने के कारण) उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

| क्र.सं. | रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र फसल जाति   | अंग्रेजी में सामान्य नाम | हिन्दी में सामान्य नाम |
|---------|--|--------------------------|------------------------|
| (1)     | (2)  | (3)                      | (4)                    |
| 1.      | केमेलिया सीनेंसिस,<br>केमेलिया असामिका और<br>सी. असामिका एसएसपी लैसियाकैलक्स | टी                       | चाय                    |
| 2.      | साइट्रस ओरेंटीफोलिया स्वींगल   | एसिड लाइम                | नींबू                  |
| 3.      | साइट्रस रेटिकुलाटा ब्लैको  | मेंडारिन                 | संतरा                  |
| 4.      | साइट्रस सीनेंसिस (एल.) ओसबेक   | स्वीट ओरेंज              | मोसमी                  |
| 5.      | बोगनविलिया सीओएमएम. एक्स जस.   | बोगनविलिया               | बोगनविलिया             |
| 6.      | मुसा एसपीपी.   | बनाना                    | केला                   |
| 7.      | ऑसीडियम एसडब्ल्यू.   | ओर्चिड                   | ओर्चिड                 |

[फा. सं. 2-9/2008-एसडी. V]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव



